319

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 1997 (फाल्गुन 13, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री श्यामलाल धुर्वे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 ;
(ख) डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 1995 से 30 जून, 1996) ; तथा
(ग) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 (दिनांक 1 जुलाई, 1995 से दिनांक 30 जून, 1996 तक),

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा से पृथक किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मथुरा प्रसाद पटेल, सदस्य, सतना जिले की मैहर तहसील में सिंचाई योजनायें बन्द होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 1996-97 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 31 मार्च ,1997 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 67, 69, 72, 75, 76, 80, 81 तथा 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ तिरेपन करोड़, तिहत्तर लाख, छियानवे हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टा 30 मि.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 (क्रमांक 6 सन् 1997) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

--2--

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्

निर्धारित समय	7. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
1 घन्टा	(1) मांग संख्या 36	परिवहन
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 74	महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(3) मांग संख्या 26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 37	पर्यटन
1 घन्टा	(4) मांग संख्या 47	जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा
	मांग संख्या 70	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या 79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा